

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी
PBR/ निगरानी/ग्वालियर/भू.रज/2018/1848

राकेश सिंह यादव पुत्र श्री छविराम
सिंह यादव निवासी - 2 बी.एस.एफ.
कालोनी महाराजपुरा भिण्ड रोड
ग्वालियर

..... आवेदक

भार-पह-लक्ष
15-3-18
प्रस्तुत दिनांक 05-4-18
राजस्व मण्डल, ग्वालियर

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश द्वारा अनावेदक
ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50(1) मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959
न्यायालय अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर जिला ग्वालियर द्वारा
प्रकरण क्रमांक 699/ 16-17 / अपील में पारित आदेश
दिनांक 04.01.2018 के विरुद्ध निगरानी

Riswan
15-3-18


श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर
प्रस्तुत है :-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2018/1848

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| // -04-18 | <p>आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एस0सेंगर द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में शासकीय नहर के रूप में दर्ज है इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचना करने के उपरांत ही अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये है जिसमें दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।</p> | <p align="right">  अध्यक्ष </p> |

(Handwritten mark)